

कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12, लखनऊ।

संख्या- 3529/12-3डी/2015

दिनांक- 30-6-2017

स्थानान्तरण आदेश

परिषद् एतद्वारा श्री अशोक मौर्य, आशुलिपिक, जनपद इटावा को उनके निजी अनुरोध पर जनपद लखनऊ में आशुलिपिक के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

(I) यदि श्री अशोक मौर्य के विरुद्ध जनपद इटावा में कोई अनुशासनिक कार्यवाही/प्रतिकूल तथ्य पाया जायेगा तो उनका स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(II) श्री अशोक मौर्य की ज्येष्ठता स्थानान्तरित जनपद लखनऊ के आशुलिपिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे निर्धारित की जायेगी।

(III) श्री अशोक मौर्य का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है। अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

राजस्व परिषद की ओर से,

हस्ताक्षर -

(लीना जौहरी)

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिलाधिकारी-इटावा को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरण हेतु उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार आश्वस्त होकर अपने जनपद से सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त करने का कष्ट करें।
- 2-जिलाधिकारी-लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से परिषद को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3-मण्डलायुक्त-कानपुर/लखनऊ।
- 4-सम्बन्धित कार्मिक द्वारा जिलाधिकारी।
- 5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर -
(जे०बी० यादव)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12, लखनऊ।

संख्या- 3531 /12-01 एस/2017

दिनांक- 30-6-2017

स्थानान्तरण आदेश


परिषद् एतद्द्वारा श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक, जनपद सोनभद्र को उनके निजी अनुरोध पर जनपद वाराणसी में आशुलिपिक के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

(I) श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव की ज्येष्ठता स्थानान्तरित जनपद वाराणसी के आशुलिपिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे निर्धारित की जायेगी।

(II) श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है। अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(III) यदि श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध जनपद सोनभद्र में कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित पायी जायेगी तो उनका स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राजस्व परिषद की ओर से,



(लीना जौहरी)


आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिलाधिकारी-सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरण हेतु उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार आश्वस्त होकर अपने जनपद से सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त करने का कष्ट करें।
- 2-जिलाधिकारी-वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से परिषद को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3-मण्डलायुक्त-मिर्जापुर/वाराणसी।
- 4-सम्बन्धित कार्मिक द्वारा जिलाधिकारी।
- 5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।